International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.10 No.2 Nov – Dec 2022

आदिवासियों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की विभिन्न योजनाएं

डॉ. सोमा पी गोंडाणे
राजीव गांधी कला महाविद्यालय, पाटण तालुका जिवती जिल्हा चंद्रपूर
Corresponding Author- **डॉ. सोमा पी गोंडाणे**
Email-bodhibandhu@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7496078

सारांश

सरकार ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों में इच्छाशक्ति की कमी और सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता के कारण धन का प्रावधान होने के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है. योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सका। अधोसंरचना निर्माण की दृष्टि से संचार के साधन सृजित किए गए, आदिवासियों के जीवन और जीवन स्तर में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो सका। हम देखते हैं कि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में आदिवासी विकास से कोसों दूर है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों का प्रभावी प्रभाव दिखाई देता है। इस संबंध में ईसाई मिशनरियों का कार्य उल्लेखनीय प्रतीत होता है। लेकिन उनका उद्देश्य केवल आदिवासियों का सुधार करना नहीं है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों का धर्मांतरण करना है। धर्मांतरण के कारण आदिवासी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से विमुख हो जाते हैं और कभी-कभी हम देखते हैं कि उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण या देशभक्ति भी कम हो जाती है। उनमें अलगाव की भावना पैदा हो गई है। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आदिवासियों के साथ सद्भाव से काम किया। कुछ जगहों पर इसका असर अच्छा भी देखा जा रहा है। लेकिन इस काम के पीछे उद्देश्य की कमी है। इसलिए आदिवासियों का स्वाभिमान नहीं जागा। उनकी पहचान को ठेस पहुंची है। स्वाभाविक रूप से, आदिवासियों की प्रतिक्रिया उतनी प्रेरक नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि विकास कार्यों में जितनी मेहनत की जाती है उतनी मात्रा में फल नहीं मिलता है।

कुंजी शब्द :- ज्ञानी छात्र, आवासिय विद्यालय, निर्वाह भत्ता, प्रोत्साहन, आर्थिक उत्थान, ऋण योजना,

अनुसंधान के उद्देश्य

1) जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजना का अध्ययन करना
2) सरकारी योजना के लाभार्थियों का अध्ययन करना
3) आदिवासियों के लिए सरकारी योजना की जानकारी का अध्ययन करना
4) यह अध्ययन करना कि क्या आदिवासियों ने सरकारी योजनाओं के कारण प्रगति की है
5) जनजातीय विकास में सामाजिक संगठन के योगदान का अध्ययन करना

परिकल्पना

1) आदिवासी लोगों को सरकारी योजना की पूरी जानकारी नहीं है
2) जनजातीय लोगों को सरकारी योजनाओं में सहयोग नहीं मिलता है
3) सरकारी कर्मचारी आदिवासियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं
4) शिक्षा की कमी के कारण आदिवासियों को योजनाओं की जानकारी नहीं है

अध्ययन के तरीके

वर्तमान शोध पत्र के विषय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न ग्रंथ, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, लेख और इंटरनेट का उपयोग किया गया था।

सरकारी आश्रम विद्यालय समूह योजना

महाराष्ट्र राज्य में पर्वतीय एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं शैक्षिक प्रगति के लिए वर्ष 1972-73 से क्षेत्र विकास दृष्टिकोण अपनाया गया, ताकि क्षेत्र का मूलभूत विकास एवं उसका लाभ सभी को मिले। इस स्कूल में आदिवासी छात्रों आदि के लिए मुख्य केंद्र के रूप में एक आश्रम स्कूल हो। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा की सुविधा इस आश्रम विद्यालय में छात्रों को आवास, भोजन, वर्दी, बिस्तर, किताबें और अन्य लेखन सामग्री आदि प्रदान की जाती है। सामग्री सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

आश्रम विद्यालयों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

आदिवासियों के शैक्षिक विकास के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्थापित इस आश्रम विद्यालय में आदिवासी छात्रों को आवास, भोजन, गणवेश, शिक्षण सामग्री एवं अन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए कर्मचारियों के वेतन और परीक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि दी जाती है।

एकलव्य अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय

(केन्द्र प्रायोजित पब्लिक स्कूल) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे स्कूल में 5वीं से 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। ऐसे अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय हैं। ऐसे आवासीय विद्यालय में आदिवासी छात्रों को आवास, भोजन, वर्दी, शैक्षिक सामग्री और अन्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है।

आदिवासी लड़के/लड़कियों के लिए सरकारी छात्रावास

उक्त योजना अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने एवं उनके शैक्षिक उत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। उन्हें आवास, भोजन, वर्दी, बिस्तर-कपड़े, किताबें और अन्य लेखन सामग्री आदि दी जाती है। सामग्री सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

जनजातीय छात्रों के लिए पोस्ट-स्कूल छात्रवृत्ति योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों को स्कूलों में परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू की गई है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति - योजना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदिवासी समुदाय में औद्योगिक शिक्षा लेने वाले युवाओं की संख्या कम है। तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार की अधिक गुंजाइश है। यह कोर्स 8वीं और 10वीं के बाद है। लेकिन डिग्री/डिप्लोमा कोर्स नहीं होने के कारण उन्हें अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें सामान्य शिक्षा से अधिक खर्च होता है। इसलिए आदिवासी छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह योजना लागू की गई है।

आदिवासी लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए प्रोत्साहन भत्ता कक्षा 5वीं से कक्षा 7वीं तथा कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक पढ़ने वाली आदिवासी लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए प्रोत्साहन भत्ता वर्ष 2003-04 से प्रति महा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना प्रारंभ की गयी है। यह योजना पूरे राज्य में लागू है।

जनजातीय छात्रों की आकस्मिक मृत्यु के बाद सानुग्रह अनुदान योजना आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित सरकारी आश्रम विद्यालय दूर-दराज और वन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के कारण सरकारी आश्रमस्कुल के छात्रों की मौत की घटनाएं होती हैं। इस संबंध में माता-पिता के उत्तरदायित्व के रूप में तथा शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में सरकार की जिम्मेदारी , छात्र की मृत्यु होने पर सामाजिक दृष्टि से छात्र के माता-पिता को तत्काल वित्तीय सहायता के रूप में रु. . 15,000/- की योजना शासन से सानुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

आदिवासी किसानों को पावर पंप/तेल पंप की आपूर्ति करना

जनजातीय कृषकों के आर्थिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं ऊर्जा का पूर्ण उपयोग कर अधिक से अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने एवं उनका आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत उपदान पर विद्युत पम्प/तेल पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं इस योजना में विद्युत 3 और 5 हार्स पावर के पंप / तेल पंप आमतौर पर स्वीकृत होते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र योजना (केन्द्रपुरस्कृत योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के आधार पर छोटे पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, और स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए बहुत जरूरी मशीनों और उपकरणों की मरम्मत के लिए कुशल कारीगर उपलब्ध कराना है। आदिवासी क्षेत्रों के आश्रम शालाओं में शुरू किया गया है। ये इलेक्ट्रीशियन, ऑयल इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर रिपेयरर, मोटर मैकेनिक आदि। पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 4 माह है। एक सत्र में 50 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। प्रशिक्षु अपनी इच्छानुसार 3 तरह के कोर्स में प्रशिक्षण ले सकते हैं।

स्वरोजगार हेतु ऋण योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थान एनएससीएफडीसी, नई दिल्ली के सहयोग से लागू की गई है। और शबरी कॉर्पोरेशन 95% ऋण प्रदान करता है यदि लाभार्थी 2.50 लाख रुपये के निवेश व्यवसाय के लिए 5% टक्के का भुगतान करता है और यदि लाभार्थी 2.50 लाख रुपये से अधिक के निवेश व्यवसाय के लिए 10% टक्के का भुगतान करता है तो 95% ऋण प्रदान करता है।

मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम में रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन निगम एवं राज्य सरकार के सहयोग से पंढरवाड़ा एवं गढ़चिरौली में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है. मोटर वाहन प्रशिक्षण स्तर अप्रैल से सितंबर तक है और उन्नत सत्र में अक्टूबर से मार्च तक, प्रशिक्षुओं को तकनीकी और गैर-तकनीकी चालक मामलों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही वाहन चालकों का प्रशिक्षण एवं अभ्यास प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कराया जाता है।

सेना और पुलिस बल पूर्व भर्ती प्रशिक्षण योजना

राज्य पुलिस बल, सेना एवं इसी प्रकार के विभिन्न सुरक्षा बलों में बैकलॉग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में कुल 9 स्थानों पर पुलिस एवं सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। शारीरिक और शैक्षिक रूप से फिट आदिवासी युवाओं को सेना या पुलिस बल में शामिल होने के लिए पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हों और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।-आश्रय आदि जैसी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सेवा योजना पंजीयन

सेवा योजना कार्यालय में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के नाम दर्ज किये जा रहे थे. लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि इन उम्मीदवारों के लिए अवसर मिलने में काफी देरी हो रही है, सरकार ने पिछड़े वर्गों के नाम दर्ज करने का काम समाज कल्याण विभाग को सौंपा। 1984-85 में आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्रता के बाद यह कार्य परियोजना कार्यालय को सौंप दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद, सुशिक्षित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम दर्ज करना और विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों को उनकी सिफारिश करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

आदिवासी हस्तशिल्प प्रदर्शनी

शहरी क्षेत्रों में आदिवासी हस्तशिल्प के लिए एक बड़ा बाजार है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एक साथ लाना और आदिवासियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प को प्रदर्शित करना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इन कारीगरों को उन्हें बेचकर।आदिवासी कारीगरों को यात्रा व्यय, प्रदर्शनी अवधि के दौरान भत्ता, उनकी कृतियों के प्रदर्शनी स्थल तक परिवहन लागत के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी तरह, प्रदर्शनी के प्रबंधन का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

आदिवासी पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता

आदिवासी जनजातियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के नृत्य मौजूद हैं। यह योजना आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और इन नृत्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना में विभिन्न जनजातियों के नृत्य समूहों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगिता के लिए, नर्तकियों को उनके गाँव से प्रतियोगिता गाँव तक यात्रा व्यय, उपस्थिति भत्ता, साथ ही पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाता है। साथ ही प्रतियोगिता के आयोजन का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

नवसंजीवनी योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय उपयोजना के क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार चयनित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा उस स्थान पर आवश्यक सरकारी योजनाओं को एकीकृत एवं अनियंत्रित समन्वय से क्रियान्वित करना तथा इस प्रकार वृद्धि करना है। इस क्षेत्र में लोगों का सक्रिय जीवन नवसंजीवनी योजना में निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है।

1. रोजगार संबंधी कार्यक्रम

स्थानीय स्तर पर विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के तहत चयनित, विशिष्ट क्षेत्रों के निवासियों को पर्याप्त रोजगार प्रदान करना और इस प्रकार पलायन से बचना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

2. स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस क्षेत्र के निवासियों को वर्ष भर मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, मानसून के दौरान कनेक्शन कटने के बाद भी उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध रहे इसकी व्यवस्था करना।

3. पोषण कार्यक्रम

आंगनबाड़ियों के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार का वितरण, श्रेणी 3 एवं 4 के बच्चों को विशेष पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर बाल मृत्यु दर को रोकना तथा विद्यालयों के माध्यम से विद्यालय पोषण उपलब्ध

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन योजना

अनुसूचित जनजाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच के लिए जाति प्रमाण पत्र (जारी करने और उसके सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, 2000 को अधिनियमित किया गया है और 4.6.2003 को एक नियम अधिसूचना जारी की गई है। आयुक्त, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुणे की अध्यक्षता में ठाणे, नासिक, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती, नागपुर में अर्ध-न्यायिक प्रकृति की समितियों का गठन किया गया है। यदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो जाति सत्यापन प्रमाण पत्र सत्यापित किए जाते हैं।

तुषार ठिबक सिंचाई योजना

उक्त योजना जिला परिषद के कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है तथा जल कृषि उत्पादन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारक है। चूंकि जल स्रोत अधूरा है, इसलिए उपलब्ध जल का उचित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ड्रिप और फ्रॉस्ट सेट लगाने की विधि प्रचलित है। यह पानी की खपत को कम करके फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है।

बकरियों और भेड़ों के समूह की आपूर्ति करना

आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से पशुपालन कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।इस योजना के तहत, 50%

सब्सिडी पर आदिवासी लाभार्थियों को 10 बकरियों का समूह + 1 बकरा प्रदान किया जाता है। समूह की कीमत नाबार्ड की प्रचलित दरों के अनुसार तय की जाती है।

प्रतिबंधित जल में मत्स्य पालन

जनजातीय क्षेत्रों में चल रही बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में जलाशयों का निर्माण हुआ है। इसलिए, मछली पकड़ना क्षेत्र के मुख्य रूप से भूमि से घिरे जिलों में जनजातीय लोगों का एक अंशकालिक व्यवसाय है और वे अपनी आजीविका के लिए कुछ हद तक इस पर निर्भर हैं। मत्स्य विभाग के माध्यम से नए-नए तरीके अपनाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। मीठे पानी की मछली पालन का उद्देश्य तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाली मछली प्रजातियों के बीज का उत्पादन करना और अधिकतम मछली पालन के लिए उपलब्ध जल क्षेत्र का उपयोग करना है। इस योजना के तहत सहकारी समितियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों को बीज वितरण के लिए रियायती दर पर बीज की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह, संरक्षण, तालाबों के निर्माण, भोजन और उर्वरक की खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

निष्कर्ष

आदिवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कुशल अधिकारियों और व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों का सामुदायिक विकास हो सके। और आदिवासी अधिक कुशल होंगे। योजना के सभी तत्वों के बीच सहसंबंध स्थापित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि आदिवासियों के उचित सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। सरकारी कर्मचारियों को उनकी कठिनाइयोंको और समस्याएं जानना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेजों की समस्या आज भी देखी जाती है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को स्वयं सहायता करनी चाहिए और आदिवासियों के लिए योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। सरकार को आदिवासी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची को सरल बनाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को प्रयास करना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।सरकार को कृषि के पूरक विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों को शुरू करना चाहिए। उनमें साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, अर्थात आदिवासियों के विकास के लिए सामाजिक संस्थाएं पहल करें और लोगों को उचित सहयोग दें, जिससे आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी।

संदर्भ

१) भारतीय आदिवासी विकासाच्या समस्या - मांडे प्रभाकर - गोदावरी प्रकाशन औरंगाबाद 2003

२) महाराष्ट्र शासन विकास योजना माहिती पुस्तिका

३) भारत के आदिवासी योगा इतिहास- एच लाल - आकांक्षा प्रकाशन दिल्ली 1993

४) भारतीय आदिवासी - गुरुनाथ नाडगोंडे - कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन विजयनगर पुणे 2003

५) आदिवासी समस्या आणि बदलते संदर्भ - डॉ. गोविंद गारे - सुगावा प्रकाशन पुणे

६) आदिवासी संस्कृती आणि साहित्य- प्रा. डॉ. चंद्रकांत गायकवाड - संगत प्रकाशन विवेक नगर नांदेड 2010